

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0/मु0) चौमूं, जिला-जयपुर
पीठासीन अधिकारी -:सुश्री सीमा शर्मा (R.A.S.)

मुकदमा नं०-37/2018

उनवान

हरिराम पुत्र श्री गुडनाराम, जाति मीणा निवासी काली घाटी ग्राम बिलोंची तहसील
आमेर, जिला जयपुर(राज0)।

-वादी-

बनाम

1. कन्हैयालाल
 2. कानाराम
 3. सुराराम
 4. पंखा देवी
 5. फूली देवी
 6. चवली देवी
 7. ताराचन्द
 8. राकेश
 9. रामकरण
 10. सत्यपाल
- पिता भागीरथमल
- पिता बुगलाराम पौत्र भागीरथमल

- समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम उदयपुरिया तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
11. सजना देवी पुत्री भागीरथमल पत्नी सांवरमल जाति मीणा निवासी ग्राम उदयपुरिया
हाल निवासी बैंक ऑफ बडौदा के पीछे, चौमूं, जिला जयपुर।
 12. कमली देवी पत्नी अर्जुनलाल मीणा जाति मीणा, निवासी ग्राम उदयपुरिया, तहसील
चौमूं, जिला जयपुर।
 13. छोटी देवी पत्नी स्व० रामसहाय जाति मीणा निवासी ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूं,
जिला जयपुर।
 14. सुभाष चन्द पुत्र कालूराम मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम गुवारडी तहसील चौमूं,
जिला जयपुर (राज0)।
 15. प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा, शाखा चौमूं, जिला जयपुर।
 16. प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा चौमूं, जिला जयपुर।
 17. उप पंजीयक महोदय, उपपंजीयक कार्यालय, चौमूं, जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक :-03.03.2021


पत्रावली पेश हुई, वकील वादी उपस्थित। इस न्यायालय के आदेश दिनांक
18.02.2020 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री कि जाकर तहसीलदार चौमूं को वाद में
विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्राथमिक डिक्री की पालना में
तहसीलदार चौमूं से कुर्रैजात प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं जिस पर बहस सुनी गई। वकील
वादी ने अपनी बहस में कथन किया है की वाद में तहसीलदार चौमूं से प्राप्त कुर्रैजात
रिपोर्ट अनुसार पक्षकारों के मध्य अन्तिम रुप से बटवारा किया जाकर अन्तिम डिक्री जारी
कि जावें। हमने बहस पर मनन किया तथा प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट का अवलोकन किया।
तहसीलदार चौमूं से प्राप्त कुर्रैजात प्रस्ताव पर वकील वादी द्वारा कोई एतराज नहीं किया

WJ
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक)
चौमूं (जयपुर)

गया है तथा कुर्रजात अनुसार दावे में अन्तिम रूप से अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अतः प्राप्त कुर्रजात प्रस्ताव स्वीकार किये जाता है तथा पक्षकारों के मध्य अन्तिम रूप से डिक्री कि जाती है।

1. हरिराम पुत्र गुडनाराम जाति मीणा सा०देह कालीघाटी ग्राम बिलौची तह० आमेर को खसरा नम्बर 692 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 691/1 मि. रकबा 0.4736 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 0.8736 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. कन्हैयालाल पुत्र भागीरथ हि० 654/1964, कानाराम, पंखा देवी, फूली देवी सजना देवी पिता भागीरथ हिस्सा 432/1964, स्व० रामसहाय पुत्र भागीरथ मीणा (छोटी देवी पत्नि रामसहाय हिस्सा 3/7, सुभाष चन्द पुत्र कालूराम मीणा हिस्सा 4/7) हिस्सा 750/1964 राहीन बैंक ऑफ बडौदा शाखा चौमूं सुराराम पिता भागीरथ हिस्सा 35/1964, चावली देवी ताराचन्द राकेश रामकरण सतपाल पिता बुगलाराम हिस्सा 93/1964 राहिन एस०बी०आई० बैंक शाखा चौमूं जाति मीणा सा० देह खातेदार को खसरा नम्बर 691/2 मि. रकबा 0.1964 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.1964 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
3. कन्हैयालाल पुत्र भागीरथ हिस्सा 150/4700 राहीन बैंक ऑफ बडौदा शाखा उदयपुरिया कानाराम पंखा देवी फूली देवी सजना देवी पिता भागीरथ हिस्सा 770/4700 राहीन एस०बी०आई० शाखा चौमूं मृतक स्व० रामसहाय पुत्र भागीरथ (छोटी देवी पत्नि रामसहाय हिस्सा 3/7, सुभाष चन्द पुत्र कालूराम मीणा हिस्सा 4/7) हिस्सा 1960/4700 राहीन बैंक ऑफ बडौदा शाखा चौमूं सुराराम पुत्र भागीरथ हिस्सा 839/4700, चावली देवी, ताराचन्द, राकेश, रामकरण, सतपाल पिता बुगलाराम हिस्सा 981/4700 राहिन एस०बी०आई० बैंक शाखा चौमूं सा० देह जाति मीणा खातेदार को खसरा नम्बर 693 रकबा 0.47 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.47 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
4. कन्हैयालाल पुत्र भागीरथ हिस्सा 2170/6800 कमली देवी पत्नि अर्जुनलाल हिस्सा 1360/6800 कानाराम पंखा देवी फूली देवी सजना देवी 1540/6800 मृतक स्व० रामसहाय पि० भागीरथ हिस्सा 860/6800 (छोटी देवी पत्नि रामसहाय हिस्सा 3/7, सुभाष चन्द पुत्र कालूराम मीणा हिस्सा 4/7), सुराराम पिता भागीरथ हिस्सा 270/6800 चांवली देवी ताराचन्द राकेश रामकरण सतपाल पिता बुगलाराम हिस्सा 600/6800 जाति मीणा सा०देह खातेदार को खसरा नम्बर 689 रकबा 0.68 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.68 भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

उक्तानुसार पर्चा लगान अलग अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 03.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


सहायक कलक्टर
(फा०ट्रे० मुख्यालय) चौमूं
चौमूं

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा०ट्रै०/मु०) चौमूं, जिला-जयपुर
पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा शर्मा (R.A.S.)

मुकदमा नं०:-37/2018

उनवान

हरिराम पुत्र श्री गुडनाराम, जाति मीणा निवासी काली घाटी ग्राम बिलौंची तहसील
आमेर, जिला जयपुर(राज०)।

-वादी-

बनाम

1. कन्हैयालाल
 2. कानाराम
 3. सुराराम
 4. पंखा देवी
 5. फूली देवी
 6. चवली देवी
 7. ताराचन्द
 8. राकेश
 9. रामकरण
 10. सत्यपाल
- पिता भागीरथमल
- पिता बुगलाराम पौत्र भागीरथमल

- समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम उदयपुरिया तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
11. सजना देवी पुत्री भागीरथमल पत्नी सांवरमल जाति मीणा निवासी ग्राम उदयपुरिया
हाल निवासी बैंक ऑफ बडौदा के पीछे, चौमूं, जिला जयपुर।
 12. कमली देवी पत्नी अर्जुनलाल मीणा जाति मीणा, निवासी ग्राम उदयपुरिया, तहसील
चौमूं, जिला जयपुर।
 13. छोटी देवी पत्नी स्व० रामसहाय जाति मीणा निवासी ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूं,
जिला जयपुर।
 14. सुभाष चन्द पुत्र कालूराम मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम गुवारडी तहसील चौमूं,
जिला जयपुर (राज०)।
 15. प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा, शाखा चौमूं, जिला जयपुर।
 16. प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा चौमूं, जिला जयपुर।
 17. उप पंजीयक महोदय, उपपंजीयक कार्यालय, चौमूं, जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व
प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू सुश्री सीमा शर्मा आरएएस मिनजामिन मुददायलह
पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि-

1. हरिराम पुत्र गुडनाराम जाति मीणा सा०देह कालीघाटी ग्राम बिलौंची तह० आमेर
को खसरा नम्बर 692 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 691/1 मि. रकबा 0.
4736 हैक्टेयर कुल कित्ता 2 का कुल रकबा 0.8736 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर
कब्जे में रहेगी।

W
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं, (जयपुर)

2. कन्हैयालाल पुत्र भागीरथ हि० 654/1964, कानाराम, पंखा देवी, फूली देवी सजना देवी पिता भागीरथ हिस्सा 432/1964, स्व० रामसहाय पुत्र भागीरथ मीणा (छोटी देवी पत्नि रामसहाय हिस्सा 3/7, सुभाष चन्द पुत्र कालूराम मीणा हिस्सा 4/7) हिस्सा 750/1964 राहीन बैंक ऑफ बडौदा शाखा चौमूं सुराराम पिता भागीरथ हिस्सा 35/1964, चावली देवी ताराचन्द राकेश रामकरण सतपाल पिता बुगलाराम हिस्सा 93/1964 राहिन एस०बी०आई० बैंक शाखा चौमूं, जाति मीणा सा० देह खातेदार को खसरा नम्बर 691/2 मि. रकबा 0.1964 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.1964 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
3. कन्हैयालाल पुत्र भागीरथ हिस्सा 150/4700 राहीन बैंक ऑफ बडौदा शाखा उदयपुरिया कानाराम पंखा देवी फूली देवी सजना देवी पिता भागीरथ हिस्सा 770/4700 राहीन एस०बी०आई० शाखा चौमूं मृतक स्व० रामसहाय पुत्र भागीरथ (छोटी देवी पत्नि रामसहाय हिस्सा 3/7, सुभाष चन्द पुत्र कालूराम मीणा हिस्सा 4/7) हिस्सा 1960/4700 राहीन बैंक ऑफ बडौदा शाखा चौमूं सुराराम पुत्र भागीरथ हिस्सा 839/4700, चावली देवी, ताराचन्द, राकेश, रामकरण, सतपाल पिता बुगलाराम हिस्सा 981/4700 राहिन एस०बी०आई० बैंक शाखा चौमूं सा० देह जाति मीणा खातेदार को खसरा नम्बर 693 रकबा 0.47 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.47 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
4. कन्हैयालाल पुत्र भागीरथ हिस्सा 2170/6800 कमली देवी पत्नि अर्जुनलाल हिस्सा 1360/6800 कानाराम पंखा देवी फूली देवी सजना देवी 1540/6800 मृतक स्व० रामसहाय पि० भागीरथ हिस्सा 860/6800 (छोटी देवी पत्नि रामसहाय हिस्सा 3/7, सुभाष चन्द पुत्र कालूराम मीणा हिस्सा 4/7), सुराराम पिता भागीरथ हिस्सा 270/6800 चावली देवी ताराचन्द राकेश रामकरण सतपाल पिता बुगलाराम हिस्सा 600/6800 जाति मीणा सा० देह खातेदार को खसरा नम्बर 689 रकबा 0.68 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.68 भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

निजीमबलिक बाबतखर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह
..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक को अदा करें।
बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख को जारी किया
गया।

मोहर



दस्तखत W
सहायक कलक्टर
ओहदा..... (फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	2	1. स्टाम्प अर्जी दावा	0
2. स्टाम्प वकालतनामा	1	2. स्टाम्प वकालतनामा	
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6. बाबत इजराय	
7. बाबत इजराय		हुक्मनामा	
हुक्मनामा		7. मुतफरिक	
8. मुतफरिक			
जोड़	3	जोड़	0

W
बहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
दौरे (जयपुर)